कृष्ण देवी. वी.हरियाणा राज्य

521

(हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

हरसीमरान सिंह सेठी से पहले, जे.

कृष्णा देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादीगण

सीडब्ल्यूपी-**9276-2015**

26 फरवरी, 2019

भारत का संविधान-अनुच्छेद **226/227;** हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी पेंशन और सामान्य प्रोविडेंट फंड नियम**, 1993-**नियम **2 (1) (II);** हरियाणा नगरपालिका संहिता**, 1930**। स्वीपर**,** चतुर्थ पोस्ट-अस्वीकृत पेंशन-विकल्प **1993** के नियमों के तहत नहीं दिया गया अनपढ़ सफाई -कर्मचारियों को नोट कर दिया जाए । स्वीपर के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम करने वाले अनपढ़ व्यक्तियों से अधिसूचना के बारे में जानकारी होने की उम्मीद नहीं है।नियमों को चुनने की आवश्यकता तभी पूरी होगी जब इन्हें कर्मचारियों**,** विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा ।

माना गया , एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते, अधिसूचना को याचिकाकर्ता और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों से नोट किया जाना चाहिए था कि क्या वे उसी का विकल्प चुनना चाहते हैं या नहीं?प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रमाण/दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है कि 1993 के नियमों को कर्मचारियों से नोट किया गया था ताकि उनके विकल्प आमंत्रित किए जा सकें। उक्त तथ्यों के अभाव में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि 1993 के नियमों को याचिकाकर्ता सहित कर्मचारियों के ध्यान में उनके विकल्प मांगने के लिए नहीं लाया गया था।इन्हें केवल हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।इसलिए, इन नियमों को चुनने के संबंध में नियम की आवश्यकता केवल तभी पूरी होगी जब इसे कर्मचारियों, विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जो अधिकांश मामलों में अनपढ़ हैं, के ध्यान में लाया जाएगा ।

(पैरा 9)

आशुतोष कौशिक, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के लिए साफिया गुप्ता, ए. ए. जी., हरियाणा।

बिक्रम चौधरी, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

522

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

हरसिम्रन सिंह सेठी**,** जे**. (**मौखिक**)**

(1) वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत यह है कि वर्ष 2012 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया है।

(2) रिट याचिका में बताए गए तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता, जो एक अनपढ़ महिला है, वर्ष 1977 में प्रतिवादी संख्या 4-नगरपालिका परिषद, थानेसर में सफाईकर्मी के रूप में यानी चतुर्थ श्रेणी के पद पर शामिल हुई।वह 31.5.2012 तक काम करती रहीं, जब वह सेवा से सेवानिवृत्त हुईं।सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता को पेंशन लाभों की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इस आधार पर नहीं दिया गया कि उन्होंने हरियाणा नगर निगम कर्मचारी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम, 1993 (इसके बाद '1993 नियम' के रूप में संदर्भित) का विकल्प नहीं चुना था।वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन लाभों का दावा करते हुए दायर की गई है।

(3) प्रस्ताव का नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाब दाखिल कर दिया है।जवाब में, प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया रुख यह है कि हरियाणा नगर निगम कर्मचारी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम, 1993 के तहत, एक कर्मचारी को 1993 के नियमों के तहत परिकल्पित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक था। जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पेंशन के अनुदान के लिए 1993 के नियमों को चुनने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता, जो पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुकी है और जिसे हरियाणा नगर संहिता, 1930 में निर्धारित अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत लाभों का भुगतान किया जा चुका है, इसलिए वह कोई मुद्दा नहीं उठा सकती है।

(4) अनेक अवसरों के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

(5) मैंने पक्षों के लिए विद्वान परामर्श सुना है और उनकी सक्षम सहायता के साथ रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(6) रिट याचिका में किए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता सफाईकर्मी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम कर रहा

था।वह एक अनपढ़ महिला हैं।जब 1993 के नियम लागू किए गए थे, तब वह सेवा में थीं।ये नियम डब्ल्यू. ई. एफ. 16.4.1992 के रूप में अस्तित्व में आए।नियम 2 (1) (ii) के अनुसार, 1993 के नियम उन कर्मचारियों पर लागू होने थे, जो 16.4.1992 पर काम कर रहे थे और इन नियमों का विकल्प चुन रहे थे।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि इन नियमों को कभी भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से नोट नहीं कराया गया और उसको इस बारे मे कुछ नहीं पता था । उसी के बारे में ज्ञान।याचिकाकर्ता से लिखित रूप में कोई विकल्प नहीं पूछा गया था और इसलिए, इन परिस्थितियों में, एक अनपढ़ महिला 1993 के नियमों के नियम 2 (1) (ii) के तहत आवश्यक विकल्प दाखिल करने में विफल रही।

(8) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी से 1993 के नियमों को नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, विकल्प प्रस्तुत करना एक कर्मचारी का कर्तव्य बन जाता है, इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के अभाव में, 1993 के नियम याचिकाकर्ता पर लागू नहीं हो सकते हैं और इसलिए, रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

(9) एक बार प्रतिवादीगण द्वारा नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, प्रतिवादीगण पर यह दायित्व था कि वे इन नियमों को कर्मचारियों के ध्यान में लाकर विकल्प की तलाश करें।हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी।यह अधिसूचना नहीं है जो नगर परिषदों द्वारा जारी की गई है।एक बार हरियाणा सरकार द्वारा नगर परिषदों को अधिसूचना भेजे जाने के बाद, नगर परिषदों में काम करने वाले कर्मचारियों से इसका उल्लेख किया जाना चाहिए था, जो उक्त तिथि यानी 16.4.1992 पर काम कर रहे थे।यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि एक अनपढ़ व्यक्ति, जो सफाईकर्मी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम कर रहा है, उसे हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बारे में पता होगा, जो उनके पक्ष में है।एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते, अधिसूचना को याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों से नोट किया जाना चाहिए था जो उनके विकल्प चाहते थे कि क्या वे उसी का विकल्प चुनना चाहते हैं या नहीं?प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रमाण/दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है कि 1993 के नियमों को कर्मचारियों से नोट किया गया था ताकि उनके विकल्प आमंत्रित किए जा सकें।उक्त तथ्यों के अभाव में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि 1993 के नियमों को याचिकाकर्ता सहित कर्मचारियों के ध्यान में उनके विकल्प मांगने के लिए नहीं लाया गया था।इन्हें केवल हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।इसलिए, इन नियमों को चुनने के संबंध में नियम की आवश्यकता केवल तभी पूरी होगी जब इसे कर्मचारियों, विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जो अधिकांश मामलों में अनपढ़ हैं, के ध्यान में लाया जाएगा।

(10) कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, हरियाणा राज्य ने कम्प्यूटिंग का लाभ देने के संबंध में निर्देश जारी किए थे।पेंशन भोगी अनुदान के लिए योग्यता सेवा के रूप मे कार्य प्रभार सेवा फायदे उक्त निर्देश उक्त निर्देश 06.08.1993 पर जारी किए गए थे और कर्मचारियों से अनुरोध किया गया था कि वे सेवाओं का विवरण देकर उक्त निर्देशों के लाभ के लिए आवेदन

करें, कार्य शुल्क के आधार पर प्रदान किया गया।कर्मचारी, जो उक्त लाभ का विकल्प नहीं चुन सकते थे, उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, जिसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस न्यायालय की खंड पीठ पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब तक विभाग द्वारा जारी निर्देशों पर कर्मचारियों को लिखित रूप में नहीं मिल जाते तब तक , यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लाया गया था।यदि लिखित रूप में कोई विकल्प नहीं मांगा गया है, तो इस न्यायालय ने कहा कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए, राज्य को निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों को पेंशन लाभों के लिए अपनी कार्य शुल्क सेवा की गणना करने का लाभ देने के विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दें।

(11) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे 2009 की सिविल अपील संख्या 4903 में परिवर्तित कर दिया गया था और इसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा 30-07-2009 को इसका निर्णय लिया गया था , जिसमें खंड पीठ के फैसले को बरकरार रखा गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बार यह दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों को संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लिखित रूप में लाया गया था, तो यह बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में, विकल्प का उपयोग न करने को उनके नुकसान के रूप में नहीं माना जा सकता है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः-

12. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ, पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे हैं जो दर्शाता है कि 6.8.1993 और 9.8.1994 के निर्देशों को दर्शाने वाला कोई भी रिकार्ड पेश करने मे विफल रहे वास्तव में प्रतिवादी से लिखित रूप में नोट किया गया था।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी को दिनांक 06-08-1993 और 09-08-1994 को अपीलार्थियों द्वारा बुलाए गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा जारी किए गए उक्त परिपत्रों के बावजूद प्रतिवादी को पेंशन लाभ से इनकार करना अनुचित होगा।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी और अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया की वे प्रतिवादी को अनुमती दे प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर परिपत्र दिनांक 06-08-1993 और 09-08-1994 के अनुसार उसके विकल्प का प्रयोग करे और उसके बाद पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अधीन परिणामी लाभ दिए।

हरियाणा राज्य

525

(हरसीमरान सिंह सेठी, जे.)

पेंशन योजना के तहत शासित।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उक्त फैसले से व्यथित अपीलकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

13. अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर 6.8.1993 और 9.8.1994 दिनांकित निर्देशों का पालन नहीं किया और इस तरह वह इन परिपत्रों के संदर्भ में लाभों का हकदार नहीं था।

14. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता कोई भी रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे हैं जो दर्शाता है कि 6.8.1993 और 9.8.1994 दिनांकित निर्देशों को वास्तव में प्रतिवादी से लिखित रूप में नोट किया गया था। अपीलार्थी ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने में भी विफल रहे थे जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रतिवादी को 6.8.1993 और 9.8.1994 दिनांकित निर्देशों के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा बुलाए गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले के इस दृष्टिकोण में प्रतिवादीगण और समान रूप से रखे गए उत्तरदाताओं को पेंशन लाभों से इनकार करना अनुचित होगा।

XXXXX

26. कानून को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि बड़ी संख्या में मामलों में व्यक्त किया गया है, जहां इस अदालत ने कहा है कि सरकार की ओर से किसी भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में, प्रतिवादी को योजना के तहत पेंशन लाभों से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित और तर्कहीन होगा, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता कोई रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहे हैं जो यह दर्शाता है कि 6.8.1993 और 9.8.1994 दिनांकित निर्देशों को वास्तव में प्रतिवादी द्वारा लिखित रूप में नोट किया गया था। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में यह अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थियों द्वारा बुलाए गए विकल्पों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

27. हमारी सुविचारित राय में, विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वास्तव में एक तर्कसंगत, न्यायसंगत और निष्पक्ष दृष्टिकोण है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(12) याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त निर्णय द्वारा कवर किया गया है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 1993 के नियमों को संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया गया था, जो लिखित रूप में नगर परिषदों में काम कर रहे थे। अन्यथा या उन्हें इच्छुक कर्मचारियों से विकल्प आमंत्रित करते हुए नोटिस बोर्ड पर रखा गया था। इसके अभाव में, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के मामले में, जो एक अनपढ़ महिला है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे 1993 के नियमों के अस्तित्व के बारे में जानकारी थी और और इसलिए एक और अवसर की आवश्यकता है , उसे 1993 के नियमों के लिए आवेदन करने का अपना विकल्प प्रस्तुत करने के लिए दिया जाएगा ।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति है। नियम 1993 चुनने के लिए याचिकाकर्ता का विकल्प प्रतिवादीगण द्वारा लिया जाएगा और पेंशन देने के लिए उनके मामले पर उनके द्वारा विचार किया जाएगा। पेंशन लाभों की गणना, जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार है, की गणना की जाएगी और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर उसे जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा नगरपालिका संहिता 1930 के तहत परिकल्पित अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के समय जो भी लाभ मिले थे, उन्हें प्रतिवादीगण द्वारा समायोजित किया जाएगा।

(14) इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता उन भुगतानों पर किसी भी ब्याज का हकदार नहीं होगा जो उसे 1993 के नियमों के संबंध में अब दिए जाने के अपने विकल्प पर प्राप्त होगा।

(15) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

(शुभरीत कौर)

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुरेन्द्र शर्मा

अनुवादक